कार्यालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट कटनी (मध्य प्रदेश)

क्रमांक / 6622 / आर0डी0एम0 / 2020 कटनी दिनांक– 30 – 07–2020

–:: आदेश ::–

(दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत)

——00——

कार्यालीन **आदेश क्रमांक 6482 / आर डी एम / 2020 कटनी दिनांक 26.07.2020** के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने एवं किल कोरोना अभियान के दृष्टि से दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण कटनी जिले की सीमाओं में दिनांक 26.07.2020 को रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 02.08.2020 को प्रातः 05.00 बजे तक की अवधि के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया था।

कार्यालीन **आदेश 6489 / आर डी एम / 2020 कटनी दिनांक 26.07.2020** के पालन के साथ साथ जिले मे कोरोना वायरस के प्रकरण में लगातार वृद्धि होने एवं कोरोना संक्रमण के रोकथाम तथा किल कोरोना अभियान को दृष्टिगत रखते हुये, मैं **शशिभूषण सिंह, जिला मजिस्ट्रेट कटनी** एतद् द्वारा दण्ड प्रकिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए संपूर्ण कटनी जिले की सीमाओं में दिनांक **26.07.2020 को रात्रि 08.00 बजे से दिनांक 04.08.2020 को रात्रि 12.00 बजे** तक की अवधि के लिए निम्नानुसार संशोधित प्रतिबंधात्मक आदेश जारी करता हूँ।

01– **आगामी त्यौहारों** को दृष्टिगत रखते हुये त्यौहारों संबंधी सामग्री के कय / विकय हेतु (शांति समिति की बैठक में लिये निर्णय अनुसार) फारेस्टर प्लेग्राउण्ड में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुये प्रातः 06:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दुकान लगाने हेतु टोटल लाकडाउन से मुक्त रहेंगे।

02– **सब्जी / फल विकेता** फारेस्टर प्लेग्राउण्ड में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुये प्रातः 06:30 बजे से दोपहर 12:00 बजे तक दुकान लगाने हेतु टोटल लाकडाउन से मुक्त रहेंगे।

शेष आदेश यथावत रहेगा।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा।

(शशिभूषण सिंह)(IAS)
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जिला कटनी (म0प्र0)

क्रमांक / 6622 / आर0डी0एम0 / 2020 कटनी दिनांक– 30 – 07 –2020

प्रतिलिपिः–

01:– प्रमुख सचिव, म0प्र0 शासन सामान्य प्रशासन / गृह / स्वास्थ एवं परिवार कल्याण विभाग भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।

02:– कमिश्नर महोदय जबलपुर संभाग जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।

03:– पुलिस अधीक्षक कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। एवं समस्त थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराते हुये आदेश एवं निर्देश का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

04:– अपर जिला मजिस्ट्रेट, कटनी की ओर सूचनार्थ।

05:– मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कटनी की ओर सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु।

06:– उपखण्ड मजिस्ट्रेट एवं अनु विभागीय अधिकारी (राजस्व) कटनी / विजयराघवगढ / बहोरीबंद / ढीमरखेडा की ओर सूचनार्थ एवं आदेश निर्देशो का सख्ती से पालन कराये जाने हेतु।

07:– तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट कटनी / रीठी / बड़वारा / बरही / विजयराघवगढ / बहोरीबंद / ढीमरखेडा / स्लीमनाबाद

08:– मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

09:– आयुक्त नगर पालिक निगम / नगर परिषद कैमोर, विजयराघवगढ,बरही की ओर सूचनार्थ।

10:– क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आरटीओ) जिला कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

11:– समस्त कार्यालय प्रमुख .... कटनी की ओर सूचनार्थ / आवश्यक कार्यवाही हेतु।

12:– जिला जनसंपर्क अधिकारी कटनी की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

जिला मजिस्ट्रेट
जिला –कटनी